

**ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खंड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत कुपाहडा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव, कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कांता देवी	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री योग राज	01.04.2022 to 16.03.2023
2.	श्री बेली राम	17.03.2023 to 16.05.2023
3.	श्री राकेश कुमार	17.05.2023 to 31.03.2024

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई

गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है जोकि उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.3	3.36
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	29.98
3.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) मोबाईल टावर व विवाह शुल्क की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1, 7.2 7.3	2.70
4.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के अनियमित भुगतान करने बारे।।	8.2	18.12
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.86
6.	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	9.1	0.75
7.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	9.2	4.06
8.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	9.3	0.36
9.	मनरेगा मद के सम्बन्धित मस्ट्रोल, आवेदन, माप पुस्तिका में अनियमितता बारे	9.4	7.22
10.	पंचायत द्वारा सभा निधि से अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे	9.5 (i)(ii)	2.32

11.	PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	10.4	10.06
-----	--	------	-------

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खंड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-11-2024 से 18-11-2024 तक ग्राम पंचायत कुपाहडा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	09/2022	05/2022
2.	2023-2024	06/2023	06/2023

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6400/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या - 13 दिनांक 18-11-2024 द्वारा अनुरोध किया गया

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कुपाहडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4. (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत कुपाहडा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	606711	50888	657599	30826	626773
2023-24	626773	50213	676986	298550.1	378435.9

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	3721291	7654247	11375538	8449627	2925911
2023-24	2925911	11452793	14378704	11380230.1	2998473.9

कुल योग (1 + 2) = ₹378435.9 + ₹2998473.9 = ₹3625246.9

(ब) ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम		राशि 31-03-2024
1	99070100008951	HPGB MANGLA	15TH FC	1269412
2	99070100003265	HPGB MANGLA	VKVNY/MPLAD/ BASP/RELIEF/11T H, 12TH FC/SDP	1435014
3	17910107070	HPSCB CHAMBA	SF/SFC	281547
4	99078100061838	HPGB MANGLA	WDF	247546

5	99070100003131	HPGB MANGLA	14TH FC	9034
6	99070110000068	HPGB MANGLA	RGSA	47088
7		Cash In Hand		0
			Total	3289641

अन्तर (ब-अ) ₹3625246.9- ₹ 3289641 = ₹ 335605.9

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹335605.9/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 3.35 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹335605.9 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक :- 16.11.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस

प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्तोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹29.98 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "परिशिष्ट - 3 " पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2998473.9 लाख की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुपाहडा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.16 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई

कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹116450/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	71050	454	50	22700	93750	0	93750
2	2023-24	93750	454	50	22700	116450	0	116450

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 04 दिनांक 09-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर की कम्पनी से वार्षिक शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹1.51 लाख का बकाया शेष :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाईल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

ग्राम पंचायत मंगला विकास खंड मैहला जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नहीं वसूला गया है जिसका विवरण निम्न दिया गया है :-

Years	Op.Balance	No. of Tower	Rate	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	151000	4	0	0	151000	0	151000
2023-24	151000	4	0	0	151000	0	151000

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹151000 प्राप्त करना शेष था। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाईल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। अतः मोबाईल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं थी जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त

राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹3450/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDPA से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरान्त ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDPA से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0070-60-108-01" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट - 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹3450/- की वित्तीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या-05 दिनांक 09-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक व कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 13-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के 18.12 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या

डब्बू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -5** अनुसार 1812485 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹207910.0 का अनियमित भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: -06 दिनांक 14.10.24 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया की उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.86 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹**1812485.0**/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बन्धित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ **86308**/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत

नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

9.1 ₹0.75 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत कुपाहडा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों

समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्ट्रोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
53044	CBP-16/VR NO 05	22500	LABOUR PAYMENT	SDP	C/O RAIN SHED KHADKI
53186	CBP-30/30.06.23	52560	LABOUR PAYMENT	VKV NY	C/O SHAMSHANGH AT BHANERA
	कुल	75060			

ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि मस्ट्रोल के साथ साथ पंचायत द्वारा समस्त बिल/ वाउचर का भुगतान भी बिना संयुक्त हस्ताक्षर के किया जा रहा था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुपाहडा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹4.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, (Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुपाहडा द्वारा राशि ₹400610/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र० सं०	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	02/30.04.22	11TH /12TH FC	AST HOME DÉCOR	PVC FITTING	197350
2	07/30.06.22	SDP	SUDHEER CHAUHAN WELDING WORKS	WELDING WORK	13260
3	09,10,11./30.06.23	SF	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHDA	STONE	100000
4	16/1/30.06.23	SF	M/S PLAH INFORTECH CHAMBA	LAPTOP	90000
				TOTAL	400610

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 14-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत कुपाहडा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में

सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.35 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹35620.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	57/31.03.23	SF	SUDHEER KUMAR COMMUNICATION	STATIONARY	3500
2	47/28.02.23	11TH /12TH FC	M/S JAGAT RAM SAKTI PRASAD	TILES	32120
				Total	35620

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या -08 दिनांक 14-11-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बन्धित व्यक्ति से करके उचित स्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा मद के सम्बन्धित राशि 7.22 लाख के मस्ट्रोल, आवेदन, माप पुस्तिका में अनियमितता बारे :-

अंकेक्षण के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-6 अनुसार विकास कार्यों पर खर्च की हुई राशि के कार्य हेतु दिए गये आवेदन, मापक पत्रों पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गये तथा उक्त भुगतान प्रधान व सचिव के द्वारा प्रमाणित व सत्यापित नहीं किये गये थे तथा ग्राम रोजगार द्वारा बिना प्रमाणित व सत्यापित किये भुगतानों को (MIS) में अंतिम भुगतान हेतु पारित कर दिया गया था इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका, कार्य प्राकलन इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह ज्ञात करना मुश्किल था की उक्त व्यय वास्तव में विकास कार्यों पर हुआ है अथवा नहीं जिस कारण किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 11 दिनांक 14-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था तथा उक्त अनियमितता बारे सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त मापन पत्रों को ग्राम रोजगार सेवक द्वारा अपने स्तर पर (MIS) कर दिया गया था और तकनीकी सहायक द्वारा उक्त माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा उक्त अनियमितता को ग्राम रोजगार सेवक को अवगत करवाया गया था तथा उनके द्वारा बताया गया कि समय के अभाव में माप पत्रों को (MIS) करना पड़ा था।

दिया गया उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उक्त भुगतान आवेदन होने के बाद तथा मजदूरों की उपस्थिति व तकनीकी सहायक द्वारा मुल्यांकन उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली ग्राम रोजगार से करके सम्बन्धित निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए

9.5 (i) पंचायत द्वारा सभा निधि से राशि 1.32 लाख अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 में वर्णित परिशिष्ट -क में पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि क्रम संख्या 1 पर वर्णित सामग्री (लैपटॉप) हेतु राशि ₹90000.00 का भुगतान किया गया था जबकि उक्त लैपटॉप ग्राम रोजगार सेवक हेतु क्रय किया गया था तथा न ही उक्त सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में पाई गई थी जोकि अनियमित था इसके अतिरिक्त क्र० सं० 2 पर वर्णित व्यय राशि का कोई भी विवरण रोकड़ बही में नहीं दिया गया था तथा इससे सम्बन्धित कोई भी बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था क्र० संख्या 3 में वर्णित सामग्री भी ग्राम रोजगार सेवक हेतु क्रय की गई थी तथा उक्त सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाई गई थी व पंचायत में भी उपलब्ध नहीं थी इसके अतिरिक्त उक्त सामग्री को क्रय करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

क्रस	वाउचर /दिनांक	मद	आपूर्तिकर्ता	सामग्री का विवरण	राशि
1	16/1/30.06.23	SF	M/S PLAH INFORTECH CHAMBA	LAPTOP	90000
2	30/31.12.23 CBP-36	SF	NIL	NIL	11000
3	25/31.10.23	SF	COMPUTER HUB CHAMBA	HP PRINTER	31050
				Total	132050

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 16-11-2024 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि उकर अनियमितता की की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले ली जाएगी अन्यथा उक्त राशि की वसूली कर ली जायेगी।

अतः अनियमित क्रय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करके सभा निधि में जमा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9.5 (ii) पंचायत द्वारा सभा निधि से राशि ₹1.00 लाख अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 8 में पंचायत द्वारा विकासात्मक कार्यो हेतु किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण में चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रास्ता निर्माण कुठेड से ठनना हेतु सभा निधि से पत्थर के बिल की अदायगी की गई थी किन्तु उक्त कार्य का न तो कार्यवाही रजिस्टर में कोई विवरण था और न ही बजट में कोई प्रावधान था तथा उक्त कार्य की कोई भी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी और न ही उक्त कार्य के कार्य प्राकलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

क्रस	वाउचर /दिनांक	मद	आपूर्तिकर्ता	सामग्री का विवरण	राशि
1	09,10,11./30.06.23	SF	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHDA	STONE	100000
				total	100000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 16-11-2024 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त अनियमितता की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ले ली जाएगी अन्यथा उक्त राशि की वसूली कर ली जायेगी।

अतः अनियमित क्रय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करके सभा निधि में जमा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए हैं और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-12 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला,

DPO 5th स्टेज व Sfc का पंचायत द्वारा स्वः-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत कुपाहडा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्वः स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सर्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11, दिनांक :-16-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 e-Gramswaraj में संधारित लेखों तथा MANUAL संधारित लेखों में ₹10.06 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए

थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹1006599.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष
 31-03-2024 को **e-Gramswaraj** में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹ 2618648.00
 31-03-2024 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्त शेष ₹ **3625247.00**
 अन्तर ₹1006599.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा **e-Gramswaraj** सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 16.11.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि **e-Gramswaraj** में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

5. अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6. निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7. तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8. स्थाई एवं अस्थायी भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9. Mnrega FTO रजिस्टर		

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-12, दिनांक 16.11.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुपाहडा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

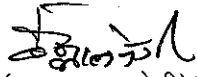
अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

643-644

23 JAN 2025 का०/का

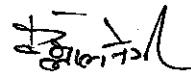

(कृष्ण लाल नेगी) 23.1.25
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एले०ए०) एच (पंच) 15 (7) 172/2025 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

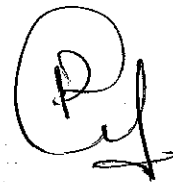
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुपाहड़ा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का०/का


(कृष्ण लाल नेगी) 23.1.25
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

परिशिष्ट -1		पैरा संख्या 4.1(क)(i)	के संदर्भ में		
Financial Position of Own Sources in r/o			" GP KUPAHDA "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	606711	50888	657599	30826	626773
2023-24	626773	50213	676986	298550.1	378435.9



परिशेष्ट -2

पैरा संख्या 4.1(क)(ii)

के संदर्भ में

Grant in aid in r/o

" GP KUPAHDA "

Dev. Block MEHLA

Distt Chamba HP-176314

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	3721291	7654247	11375538	8449627	2925911
2023-24	2925911	11452793	14378704	11380230.1	2998473.9

प्रमाणित
ग्राम पंचायत कुपाहदा
जि. चं. मैहला जि. चं.

Grant in aid in r/o		" GP KUPAHDA "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176314	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	250000	229640	479640	238188	241452
2	SDP	100000	426800	526800	396150	130650
3	VKVNY	100000	890047	990047	800261	189786
4	MPLAD	100000	200000	300000	144700	155300
5	SBM	189000	165000	354000	165000	189000
6	15th fc	758430	1436629	2195059	909938	1285121
7	14th fc	410289	3429	413718	391590	22128
8	11TH /12TH FC	1085657	0	1085657	708541	377116
9	RGSA	344879	0	344879	250357	94522
10	IWMP	148775	0	148775	148775	0
11	WDF	234261	6575	240836	0	240836
12	MNREGA	0	4296127	4296127	4296127	0
	TOTAL	3721291	7654247	11375538	8449627	2925911

Grant in aid in r/o		" GP KUPAHDA "	" GP KUPAHDA "	Distt Chamba HP-176314	Year Ended	2023-24
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	241452	244542	485994	179300	306694
2	SDP	130650	390000	520650	270700	249950
3	VKVNY	189786	797663	987449	821458	165991
4	MPLAD	155300	80000	235300	53900	181400
5	SBM	189000	0	189000	0	189000
6	15th fe	1285121	327205	1612326	378229	1234097
7	14th fe	22128	5097	27225	18133.1	9091.9
8	11TH /12TH FC	377116	0	377116	132910	244206
9	RGSA	94522	8566	103088	55000	48088
10	BASP	0	280000	280000	208400	71600
11	RELIEF FUND	0	220000	220000	169200	50800
12	WDF	240836	6720	247556	0	247556
13	MNREGA	0	9093000	9093000	9093000	0
	TOTAL	2925911	11452793	14378704	11380230.1	2998473.9

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources		626773
2	Cash Book Balance on 31.03.2024		5TH SFC		306694
3	Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP		249950
4	Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY		165991
5	Cash Book Balance on 31.03.2024		MPLAD		181400
6	Cash Book Balance on 31.03.2024		SBM		189000
7	Cash Book Balance on 31.03.2024		15th fc		1234097
8	Cash Book Balance on 31.03.2024		14th fc		9091.9
9	Cash Book Balance on 31.03.2024		11TH /12TH FC		244206
10	Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA		48088
11	Cash Book Balance on 31.03.2024		BASP		71600
12	Cash Book Balance on 31.03.2024		RELIEF FUND		50800
13	Cash Book Balance on 31.03.2024		WDF		247556
14	Cash Book Balance on 31.03.2024		MNREGA		0
			TOTAL		3625246.9
	Balance as Per Bank on 31.03.24				
	A/c No	Branch	Head		
1	99070100008951,	HPGB MANGLA	15TH FC		1269412
2	99070100003265,	HPGB MANGLA	VKVNY/MPLAD/BASP/RELIEF/11TH,12TH FC/SDP		1435014
3	17910107070	HPSCB CHAMBA	SF/SFC		281547
4	99078100061838,	HPGB MANGLA	WDF		247546
5	99070100003131,	HPGB MANGLA	14TH FC		9034
6	99070110000068,	HPGB MANGLA	RGSA		47088
		Cash In Hand			0
	Total				3289641
				Difference	-335605.9

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

DETAIL OF VENDOR/SUPPLIER FROM WHICH GIVEN MATERIAL PURCHASE WITHOUT (X) FORM & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT ALSO PROBABLE LOSS OF ROYALTY

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/BILL	Date of payment	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYALTY	AMOUNT	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE		MATERIAL	M3	TONNE	ROYALTY	NOT PAID	PAID		
1	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	15TH FC	05.7,11,14,,/05.08.22	05.08.22	AGG	36.0	68.4	80.0	5472.0	75600.0	72000.0	3600.0
2	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	15TH FC	06.9,10,13,,/05.08.22	05.08.22	SAND	31.0	49.6	80.0	3968.0	62000.0	59047.6	2952.4
3	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	15TH FC	12,15,,/05.08.22	05.08.22	STONE	20.0	45.0	80.0	3600.0	38000.0	36190.5	1809.5
4	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	14TH FC	02,03,,/30.04.22	30.04.22	SAND	30.0	48.6	80.0	3888.0	60000.0	57142.9	2857.1
5	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	14TH FC	04,05,6,7,,/30.04.22	30.04.22	STONE	90.0	171.0	80.0	13680.0	171000.0	162857.1	8142.9
6	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	SF	09,10,11,,/30.06.23	30.06.23	STONE	38.4	86.4	80.0	6912.0	99840.0	95085.7	4754.3
7	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	VK/VNY	15/30.6.23		AGG	5.0	9.5	80.0	760.0	10500.0	10000.0	500.0
8	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	VK/VNY	13.30.06.23	30.06.23	SAND	2.0	4.5	80.0	358.4	4000.0	3809.5	190.5
9	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	VK/VNY	20/30.06.23	30.06.23	SAND	5.7	9.3	80.0	740.0	16000.0	15238.1	761.9
10	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	VK/VNY	21/30.06.23	30.06.23	AGG	5.7	10.8	80.0	861.8	21000.0	20000.0	1000.0
11	RAMESH KUMAR GOVT CONT. PO KUPAHPADA	VK/VNY	22/30.06.23	30.06.23	STONE	16.1	36.0	80.0	2879.7	41800.0	39809.5	1990.5
12	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	10-06-2023	38 Date Date 28/02/2024	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
13	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	10-06-2023	39 Date 28/02/2024	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
14	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	20-06-2023	40 Date 25/06/2023	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
15	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	30-06-2023	08 Date 28/02/2024	Stone	18.1	40.4	80.0	3234.6	35150.0	33476.2	1673.8
16	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	10-06-2023	29 Date 28/02/2024	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
17	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	11/06-2023	30 Date 28/02/2024	Stone	15.4	34.6	80.0	2765.1	29317.0	27921.0	1396.0
18	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	11-06-2023	31 Date 28/02/2024	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
19	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	20-06-2023	32 Date 28/02/2024	Stone	12.4	27.8	80.0	2227.5	22617.0	22492.4	1124.6
20	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	25-06-2023	33 Date 28/02/2024	Aggregate	15.0	28.5	80.0	2280.0	31500.0	30000.0	1500.0
21	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	25-06-2023	34 Date 28/02/2024	Sand	14.0	22.7	80.0	1814.4	28000.0	26666.7	1333.3
22	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-06-2022	023 21/6/2023	Sand	90.0	145.8	80.0	11664.0	42000.0	40000.0	2000.0

23	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-06-2022	024 Date 21/06/2023	Stone	9.6	21.5	80.0	1720.3	16511.0	15724.8	786.2
24	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-05-2022	138 20/06/2023	Sand	12.0	19.4	80.0	1555.2	24000.0	22857.1	1142.9
25	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	052 20/06/2023	Sand	10.0	16.2	80.0	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
26	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	053 Date 20/06/2023	Stone	20.0	32.4	80.0	2592.0	38000.0	36190.5	1809.5
27	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	054 Date 20/06/2023	Stone	16.5	26.7	80.0	2138.4	31350.0	29857.1	1492.9
28	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	046 Date 20/06/2023	Sand	10.0	22.4	80.0	1792.0	20000.0	19047.6	952.4
29	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	047 Date 20/06/2023	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
30	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	048 Date 20/06/2023	Stone	18.0	40.3	80.0	3225.6	34200.0	32571.4	1628.6
31	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	049 Date 20/06/2023	Sand	10.0	16.2	80.0	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
32	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	050 20/06/2023	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
33	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	51 20/06/2023	Stone	14.0	31.4	80.0	2508.8	26600.0	25333.3	1266.7
34	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	042 20/06/2023	Sand	10.0	16.2	80.0	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
35	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	045 Date 20/06/2023	Stone	16.0	35.8	80.0	2867.2	30400.0	28952.4	1447.6
36	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	044 Date 20/06/2023	Stone	20.0	44.8	80.0	3584.0	38000.0	36190.5	1809.5
37	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	08-05-2022	134 Date 20/06/2023	Sand	15.0	24.3	80.0	1944.0	30000.0	28571.4	1428.6
38	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	09-05-2022	135/ Date 20/06/2023	Stone	30.0	67.2	80.0	5376.0	57000.0	54285.7	2714.3
39	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	07-05-2022	133/Date 20/06/2023	Sand	28.0	45.4	80.0	3628.8	56000.0	53333.3	2666.7
40	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	05-05-2022	131/20/06/2023	Sand	15.0	33.6	80.0	2688.0	30000.0	28571.4	1428.6
41	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	06-05-2022	132 Date 20/06/2023	Stone	21.0	47.0	80.0	3763.2	39900.0	38000.0	1900.0
42	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	080 Date 20/06/2023	Sand	14.0	22.7	80.0	1814.4	28000.0	26666.7	1333.3
43	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	081 Date 20/06/2023	Stone	16.5	37.0	80.0	2956.8	31350.0	29857.1	1492.9
44	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	082 Date 20/06/2023	Stone	16.5	37.0	80.0	2956.8	31350.0	29857.1	1492.9
45	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	10-05-2022	136 Date 10/05/2022	Sand	13.0	21.1	80.0	1684.8	26000.0	24761.9	1238.1
46	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	10-05-2022	137 20/06/2023	Stone	30.0	67.2	80.0	5376.0	57000.0	54285.7	2714.3
47	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	083 Date 20/06/2023	Sand	10.0	16.2	80.0	1296.0	20000.0	19047.6	952.4
48	Ramesh Kumar Gov. Cont.	Murega	01-09-2022	084 Date 20/06/2023	Aggregate	15.6	29.6	80.0	2371.2	31500.0	30000.0	1500.0
									153921.0	1812485.0	1726176.2	86308.8

Remarks:

Add :- 25% penalty
Total

153920.992 38480.248

38480.25
192401.24

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)

Common to all Items Sand, Stone & Aggregate

3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

One Cubic Meter (M³) Sand

1.62

One Cubic Meter (M³) Aggregate

1.9

One Cubic Meter (M³) Stone

2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared whether it is paid or not

[Signature]
G. R. S.
G. R. S. Santhosh Kumar
Dev. Block II, II-A
Dist. Channarayana (P.P.)

[Signature]
G. R. S. Santhosh Kumar
Dev. Block II, II-A
Dist. Channarayana (P.P.)

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत कुपाहडा

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा की गई राशी
1	01	हारचंद शर्मा विस	25-4-21	28-4-21	25=00	Nil	Nil
2	02	दिपक कुमार शर्मा विस	30-4-21	06-5-21	25=00	Nil	Nil
3	03	पंचम सिंह शर्मा विस	21-5-21	29-5-21	25=00	Nil	Nil
4	04	पिंटू राम शर्मा विस	4-8-21	10-8-21	200=00	Nil	Nil
5	05	शमील विस	28-7-21	10-8-21	25=00	Nil	Nil
6	06	मनीष कुमार शर्मा विस	24-6-21	10-8-21	50=00	Nil	Nil
7	07	अजय कुमार शर्मा विस	02-11-21	24-11-21	200=00	Nil	Nil
8	08	अशीष कुमार शर्मा विस	7-11-21	24-11-21	25=00	Nil	Nil
9	09	विशाल कुमार शर्मा विस	25-10-21	24-11-21	200=00	Nil	Nil
10	10	कुलदीप सिंह शर्मा विस	11-11-21	24-11-21	200=00	Nil	Nil
11	11	विक्रम कुमार शर्मा विस	12-12-21	28-12-21	25=00	Nil	Nil
12	010	हमिर शर्मा विस	20-1-22	20-1-22	25=00	Nil	Nil
13	02	उतम चंद शर्मा विस	20-2-22	06-3-22	25=00	Nil	Nil
14	03	वीरेंद्र कुमार शर्मा विस	24-4-22	06-5-22	200=00	Nil	Nil
15	04	राहुल शर्मा विस	28-4-22	07-5-22	25=00	Nil	Nil
16	05	रूपल सिंह शर्मा विस	08-6-22	20-6-22	25=00	Nil	Nil
17	06	अमरजीत सिंह शर्मा विस	28-7-22	28-7-22	25=00	Nil	Nil
18	07	सुरेश कुमार शर्मा विस	20-7-22	06-8-22	200=00	Nil	Nil
19	08	रोहित शर्मा विस	14-8-22	20-8-22	200=00	Nil	Nil
20	09	अजय कुमार शर्मा विस	14-12-22	17-12-22	25=00	Nil	Nil
21	10	गुरुचरण शर्मा विस	26-9-22	19-12-22	25=00	Nil	Nil
22	12	समित कुमार शर्मा विस	25-2-23	23-3-23	25=00	Nil	Nil
23	13	पंकज कुमार शर्मा विस	4-5-2023	1-6-23	25=00	Nil	Nil
24	15	सुशांत शर्मा विस	12-5-23	1-6-23	25=00	Nil	Nil
25	16	सुदेश कुमार शर्मा विस	27-5-23	17-6-23	200=00	Nil	Nil
26	17	आशीष कुमार शर्मा विस	26-6-23	24-7-23	200=00	Nil	Nil
27	18	रोहित शर्मा विस	30-6-23	20-8-23	200=00	Nil	Nil
28	19	सुरेश सिंह शर्मा विस	29-9-23	6-11-23	200=00	Nil	Nil
29	20	विशाल कुमार शर्मा विस	9-11-23	29-11-23	200=00	Nil	Nil
30	21	मनीष शर्मा विस	23-11-23	9-12-23	25=00	Nil	Nil
31	22	अमर कुमार शर्मा विस	22-10-23	9-12-23	250=00	Nil	Nil
32	23	दिपक कुमार शर्मा विस	19-10-23	9-12-23	400=00	Nil	Nil
33	24	पंकज कुमार शर्मा विस	26-10-23	9-12-23	250=00	Nil	Nil

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत कुपाहडा

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	03	मोहित सिंह गुप्ता	31-1-24	22-2-24	25/-	N/A	N/A
2	04	पिंतेन्द्र सिंह गुप्ता	6-2-24	27-3-24	25/-	N/A	N/A
3	05	मनीष नाथ गुप्ता	06-2-24	26-2-24	25/-	N/A	N/A
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

Total 3450/-

(P)

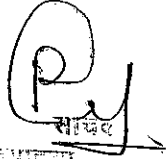
5

17/12/22 6 पैरा ऊपर 9.4 के संदर्भ में

Statement showing the detail of Muster roll payment with pass order and muster roll not verified by prathan also application for work not produced in audit			
2022-23			
Name of work	Muster Roll No.	date of payment	Amount on UnSkilled(In Rupees)
name of work:-c/o protection work GMS Gharani	396-397	10.05.22	47700
2023-24			
Work Name: C/o Protection Work Upper Chounri(1302004158/FP/8000073134)			
	4496	22-06-2023	1789
	4496	22-06-2023	5368
Work Name: C/o Protection Work Jhand(1302004158/FP/8000084416)			
	3241	06-06-2023	9852
	4514	22-06-2023	8944
Work Name: C/o Protection Work Khuthed(1302004158/FP/8000092464)			
	3242	06-06-2023	2912
	3242	06-06-2023	14560
	4515	22-06-2023	2423
	4515	22-06-2023	12115
Work Name: C/O Protection Work Uppar Olhi -ii(1302004158/FP/8000111612)			
	3248	06-06-2023	32660
	4512	22-06-2023	31360
Work Name: C/O Protection Work Ohli-iii(1302004158/FP/8000111616)			
	3261	07-06-2023	32256
	3262	07-06-2023	35616
Work Name: C/O Protection Work Chanoked(1302004158/FP/8000111726)			
	4508	22-06-2023	12320
Work Name: C/O Land Dev Work Kuthed Kanta Job Card NO 602(1302004158/IF/GIS/33388)			
	3263	07-06-2023	3567
	3263	07-06-2023	32103
	3264	07-06-2023	3567
Work Name: C/o Land Development Work Bus Stand to Pehnai Kuthed(1302004158/LD/32088582)			
	3259	08-06-2023	28215
	4507	22-06-2023	22176
Work Name: C/O Land Dev. Work Thana (1302004158/LD/8000078781)			
	3253	06-06-2023	33152
	3254	06-06-2023	35616
Work Name: C/O Land Dev. Work Chounri(1302004158/LD/8000078799)			
	3255	06-06-2023	3584
	3255	06-06-2023	32256
	3256	06-06-2023	35840
	3257	06-06-2023	3584
	3257	06-06-2023	32256
	3258	06-06-2023	35840

17

	4505	21-06-2023	28896
	4506	21-06-2023	8064
Work Name: C/O Land Dev. Work Chanokted(1302004158/LD/8000078892)			
	3249	07-06-2023	32256
	3249	21-06-2023	3584
	3250	07-06-2023	35840
	3251	07-06-2023	35616
	3252	07-06-2023	3584
	3252	07-06-2023	7168
	4504	22-06-2023	15451
	Total		722090


 પ્રધાન
 રામ ધર્માણત વૃષાભાઈ
 મિડિ સ્પોર્ટ મેડલ મિડિ સ્પોર્ટ

